

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
मांग संख्या 60
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	42476.91	30050.39	72527.30	54107.30	31992.78	86100.08	32186.43	37228.19	69414.62	59322.61	42595.70	101918.31
वसूलियां	-353.14	-3609.28	-3962.42	-158.99	-3364.52	-3523.51	-178.25	-5566.44	-5744.69	-168.99	-4972.32	-5141.31
प्राप्तियां
निवल	42123.77	26441.11	68564.88	53948.31	28628.26	82576.57	32008.18	31661.75	63669.93	59153.62	37623.38	96777.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	124.58	2.61	127.19	214.17	5.60	219.77	164.12	19.79	183.91	182.78	8.45	191.23
	-0.09	...	-0.09
निवल	124.49	2.61	127.10	214.17	5.60	219.77	164.12	19.79	183.91	182.78	8.45	191.23
1.02 संपदा निदेशालय	38.12	...	38.12	51.47	1.78	53.25	47.00	2.10	49.10	50.29	1.60	51.89
	-5.21	...	-5.21
निवल	32.91	...	32.91	51.47	1.78	53.25	47.00	2.10	49.10	50.29	1.60	51.89
1.03 भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	24.64	...	24.64	28.54	...	28.54	28.54	...	28.54	28.59	...	28.59
1.04 अंतरराष्ट्रीय अंशदान	1.26	...	1.26	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
जोड़- सचिवालय	183.30	2.61	185.91	295.78	7.38	303.16	241.26	21.89	263.15	263.26	10.05	273.31
2. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन												
2.01 नगर और ग्राम योजना संगठन	12.48	...	12.48	15.24	...	15.24	13.47	...	13.47	14.86	...	14.86
2.02 राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान	7.50	...	7.50	5.93	...	5.93	5.93	...	5.93	6.15	...	6.15
2.03 दिल्ली शहरी कला आयोग	4.59	...	4.59	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	5.25
2.04 नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	11.53	...	11.53	10.48	...	10.48	10.48	...	10.48	10.48	...	10.48
2.05 एनसीआर आयोजना बोर्ड	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	45.00	...	45.00	55.00	...	55.00
2.06 विभागीय केंद्रों सहित राजघाट समाधि समिति	8.12	...	8.12	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.10	...	7.10
2.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
2.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	4.18	...	4.18	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35
2.10 स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण	3.50	...	3.50	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30
2.11 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	3225.28	1.29	3226.57	3399.95	3.10	3403.05	3393.93	2.23	3396.16	3472.72	2.39	3475.11
	-5.04	...	-5.04	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
निवल	3220.24	1.29	3221.53	3395.96	3.10	3399.06	3389.94	2.23	3392.17	3468.73	2.39	3471.12
निवल	3334.74	1.29	3336.03	3509.11	3.10	3512.21	3491.32	2.23	3493.55	3581.82	2.39	3584.21
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	3518.04	3.90	3521.94	3804.89	10.48	3815.37	3732.58	24.12	3756.70	3845.08	12.44	3857.52
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
3. मेट्रो परियोजनाएं												
3.01 इक्विटी निवेश	...	4467.83	4467.83	...	3364.51	3364.51	...	6154.93	6154.93	...	4972.31	4972.31
3.02 सरकारी हरित निधि को अंतरण	...	3609.00	3609.00	...	3364.51	3364.51	...	5566.43	5566.43	...	4972.31	4972.31
3.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	...	-3609.00	-3609.00	...	-3364.51	-3364.51	...	-5566.43	-5566.43	...	-4972.31	-4972.31
3.04 गौण ऋण	...	1324.00	1324.00	...	1092.02	1092.02	...	1418.00	1418.00	...	2273.93	2273.93
3.05 पास थ्रू सहायता	...	13658.00	13658.00	...	16791.41	16791.41	...	17029.00	17029.00	...	23859.94	23859.94
3.06 महानगरीय और गैर-महानगरीय परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	56.37	...	56.37	88.04	...	88.04	89.54	...	89.54	133.10	...	133.10
3.07 निर्भया कोष में अंतरण	11.00	...	11.00	9.00	...	9.00
3.08 निर्भया कोष से पूरी की गई राशि	-11.00	...	-11.00	-9.00	...	-9.00
निवल	56.37	19449.83	19506.20	88.04	21247.94	21335.98	89.54	24601.93	24691.47	133.10	31106.18	31239.28
4. मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान	67.02	...	67.02	649.72	...	649.72
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	58.00	3538.00	3596.00	58.00	3538.00	3596.00	209.00	3646.00	3855.00	447.00	2471.00	2918.00
सामान्य पूल आवास												
6. आवासीय												
6.01 आवासीय	...	1017.41	1017.41	...	1100.00	1100.00	...	1274.11	1274.11	...	1034.45	1034.45
7. गैर-आवासीय												
7.01 गैर-आवासीय	...	2405.55	2405.55	...	2600.00	2600.00	...	2076.90	2076.90	...	2922.56	2922.56
	...	-0.08	-0.08	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	...	2405.47	2405.47	...	2599.99	2599.99	...	2076.89	2076.89	...	2922.55	2922.55
जोड़-सामान्य पूल आवास	...	3422.88	3422.88	...	3699.99	3699.99	...	3351.00	3351.00	...	3957.00	3957.00
8. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	444.64	...	444.64	326.32	...	326.32	450.32	...	450.32	373.00	...	373.00
9. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम	1.94	...	1.94	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
10. शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. होम लोन पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	560.95	26410.71	26971.66	1475.37	28485.93	29961.30	1817.88	31598.93	33416.81	1604.82	37534.18	39139.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
12. लेखन सामग्री नियंत्रक	58.00	0.26	58.26	67.79	0.85	68.64	63.43	0.85	64.28	66.26	1.05	67.31
	-22.18	...	-22.18	-4.00	...	-4.00	-12.26	...	-12.26	-5.00	...	-5.00
<i>निवल</i>	<i>35.82</i>	<i>0.26</i>	<i>36.08</i>	<i>63.79</i>	<i>0.85</i>	<i>64.64</i>	<i>51.17</i>	<i>0.85</i>	<i>52.02</i>	<i>61.26</i>	<i>1.05</i>	<i>62.31</i>
13. मुद्रणालय	152.66	26.17	178.83	187.39	80.50	267.89	162.43	37.63	200.06	165.46	65.50	230.96
	-135.55	...	-135.55	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
<i>निवल</i>	<i>17.11</i>	<i>26.17</i>	<i>43.28</i>	<i>37.39</i>	<i>80.50</i>	<i>117.89</i>	<i>12.43</i>	<i>37.63</i>	<i>50.06</i>	<i>15.46</i>	<i>65.50</i>	<i>80.96</i>
14. अन्य संगठन	0.62	...	0.62
	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>0.62</i>	<i>...</i>	<i>0.62</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>	<i>-1.00</i>	<i>...</i>	<i>-1.00</i>
15. प्रकाशन नियंत्रक	22.51	0.07	22.58	22.24	0.50	22.74	22.00	0.21	22.21	24.00	0.21	24.21
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	76.06	26.50	102.56	122.42	81.85	204.27	84.60	38.69	123.29	99.72	66.76	166.48
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
16. हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	10.00	10.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	76.06	26.50	102.56	122.42	131.85	254.27	84.60	38.70	123.30	99.72	76.76	176.48
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
17. पीएमएवाई-शहरी												
17.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सन्निधी योजना (सीएलएसएस)-I	3000.00	...	3000.00
17.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सन्निधी योजना (सीएलएसएस)-II	1000.00	...	1000.00
17.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
17.04 समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास	0.61	...	0.61	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
17.05 केन्द्रीय घटक की अन्य मदें	66.46	...	66.46	182.57	...	182.57	284.96	...	284.96	159.96	...	159.96
17.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	19844.32	...	19844.32	23712.04	...	23712.04	11609.04	...	11609.04	17357.04	...	17357.04
17.07 ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी	1772.94	...	1772.94	1771.00	...	1771.00	1771.00	...	1771.00	1772.00	...	1772.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- पीएमएवाई-शहरी	21684.33	...	21684.33	30170.61	...	30170.61	13670.00	...	13670.00	19794.00	...	19794.00
18. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)												
18.01 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ब्याज सस्सिडी योजना-I (आईएसएस-I)	1000.00	...	1000.00	2500.00	...	2500.00
18.02 एमआईजी के लिए ब्याज सस्सिडी योजना-II (आईएसएस-II)	500.00	...	500.00	1000.00	...	1000.00
जोड़- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)	1500.00	...	1500.00	3500.00	...	3500.00
19. औद्योगिक आवास हेतु स्कीम	2500.00	...	2500.00
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
20.01 केंद्रीय घटक	8.84	...	8.84	10.00	...	10.00	0.60	...	0.60
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	492.55	...	492.55	290.00	...	290.00	29.40	...	29.40
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	501.39	...	501.39	300.00	...	300.00	30.00	...	30.00
21. दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-एस))	180.00	...	180.00
शहरी पुनर्जीवन अभियान : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन												
22. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)												
22.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	5590.84	...	5590.84	8000.00	...	8000.00	6000.00	...	6000.00	10000.00	...	10000.00
23. स्मार्ट सिटी मिशन												
23.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	7706.00	...	7706.00	2237.00	...	2237.00	1910.32	...	1910.32
	-1.59	...	-1.59
निवल	7704.41	...	7704.41	2237.00	...	2237.00	1910.32	...	1910.32
23.02 नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	277.95	...	277.95	163.00	...	163.00	89.68	...	89.68
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	7982.36	...	7982.36	2400.00	...	2400.00	2000.00	...	2000.00
जोड़-शहरी पुनर्जीवन अभियान : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन	13573.20	...	13573.20	10400.00	...	10400.00	8000.00	...	8000.00	10000.00	...	10000.00
24. नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	250.00	...	250.00
25. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)	1150.02	...	1150.02	108.70	...	108.70	1250.00	...	1250.00
स्वच्छ भारत मिशन												
26. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
26.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	159.42	...	159.42
26.02 सकल बजट सहायता	2392.28	...	2392.28	5000.00	...	5000.00	2000.00	...	2000.00	5000.00	...	5000.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	2392.28	...	2392.28	5000.00	...	5000.00	2159.42	...	2159.42	5000.00	...	5000.00
27. पीएम-ईवस सेवा योजना	1.00	...	1.00	1300.00	...	1300.00	500.00	...	500.00	1310.00	...	1310.00
28. अर्बन चैलेंज फंड	10000.00	...	10000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
29. वास्तविक वसूलियां	-183.48	...	-183.48
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	37968.72	...	37968.72	48545.63	...	48545.63	26373.12	...	26373.12	53604.00	...	53604.00
कुल जोड़	42123.77	26441.11	68564.88	53948.31	28628.26	82576.57	32008.18	31661.75	63669.93	59153.62	37623.38	96777.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	124.49	...	124.49	214.17	...	214.17	164.12	...	164.12	182.78	...	182.78
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	75.44	...	75.44	123.42	...	123.42	85.60	...	85.60	100.72	...	100.72
3. लोक निर्माण कार्य	2053.92	...	2053.92	2220.46	...	2220.46	2257.19	...	2257.19	2396.26	...	2396.26
4. लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	26.50	26.50	...	81.85	81.85	...	38.69	38.69	...	66.76	66.76
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2404.45	2404.45	...	2600.09	2600.09	...	2077.72	2077.72	...	2923.74	2923.74
जोड़-सामान्य सेवाएं	2253.85	2430.95	4684.80	2558.05	2681.94	5239.99	2506.91	2116.41	4623.32	2679.76	2990.50	5670.26
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	0.62	...	0.62	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
7. आवासन	2955.83	...	2955.83	7736.94	...	7736.94	4792.10	...	4792.10	7111.26	...	7111.26
8. शहरी विकास	983.73	...	983.73	2327.64	...	2327.64	2172.07	...	2172.07	1972.46	...	1972.46
9. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1017.41	1017.41	...	1101.78	1101.78	...	1276.21	1276.21	...	1036.05	1036.05
10. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	4470.44	4470.44	...	3420.11	3420.11	...	6174.73	6174.73	...	4990.76	4990.76
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.78	1.78	...	1.50	1.50	...	0.90	0.90	...	0.70	0.70
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	18520.00	18520.00	...	21421.43	21421.43	...	22093.00	22093.00	...	28604.87	28604.87
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3940.18	24009.63	27949.81	10063.58	25944.82	36008.40	6963.17	29544.84	36508.01	9082.72	34632.38	43715.10
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	453.48	...	453.48	336.32	...	336.32	521.19	...	521.19	373.00	...	373.00
14. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.53	0.53	...	1.50	1.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	453.48	0.53	454.01	336.32	1.50	337.82	521.19	0.50	521.69	373.00	0.50	373.50
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1690.00	...	1690.00	908.00	...	908.00	1013.72	...	1013.72
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	34540.54	...	34540.54	37988.36	...	37988.36	20007.36	...	20007.36	45150.22	...	45150.22
17. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	935.72	...	935.72	1312.00	...	1312.00	1101.55	...	1101.55	854.20	...	854.20
जोड़-अन्य	35476.26	...	35476.26	40990.36	...	40990.36	22016.91	...	22016.91	47018.14	...	47018.14
कुल जोड़	42123.77	26441.11	68564.88	53948.31	28628.26	82576.57	32008.18	31661.75	63669.93	59153.62	37623.38	96777.00

(₹ करोड़)

बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------	------------	----------------	------

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	...	321.00	321.00	...	300.00	300.00	...	350.00	350.00	...	360.00	360.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	23062.85	23062.85	...	42219.80	42219.80	...	41744.72	41744.72	...	61846.96	61846.96
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	19449.83	...	19449.83	21247.94	...	21247.94	24601.93	...	24601.93	31106.18	...	31106.18
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	3538.00	...	3538.00	3538.00	...	3538.00	3646.00	...	3646.00	2471.00	...	2471.00
5. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00
जोड़	22987.83	23383.85	46371.68	24835.94	42519.80	67355.74	28247.94	42094.72	70342.66	33587.18	62206.96	95794.14

- 1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और पृथ्वी के प्रेक्षण तथा नौचालन उपग्रह मिशन की लागत की साझेदारी सहित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
- 1.02. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।
- 1.03. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 1.04. **अंतरराष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।
2. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 2.01-2.06
- यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन के लिए है, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना ; शहरी कार्य राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए संबंधित तकनीकी, सलाहकारी और सलाहकार संगठन हैं।
- 2.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।
- 2.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह अनुदान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन के लिए है।
- 2.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह अनुदान राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और अन्य व्यय के लिए है।

- 2.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को अनुदानों के लिए है।
- 2.11. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग:** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) सचिवालय, स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
3. **मेट्रो परियोजनाएं:** 3.01-3.06
- यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण और पारगमन सहायता तथा परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण के लिए हैं।
4. **मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान:** यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के अनुदान के लिए है।
5. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में अनुदान, गौण ऋण और पारगमन सहायता लिए है।
6. **आवासीय:** यह प्रावधान सरकारी आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।
7. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सहित गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है।
8. **प्रधान मंत्री स्ट्रीट बेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री स्ट्रीट बेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए है।

9. **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम:** विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभागों/यूएलबी आदि के सेवारत अभियंत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. **शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान:** यह प्रावधान शहरी नियोजन/डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थान को पहचान करने के लिए है।
11. **होम लोन पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना:** यह योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह के लिए गृह ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता के लिए है।
12. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए है।
13. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी मुद्रणालय के लिए निर्धारित है इसमें पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।
14. **अन्य संगठन:** यह प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय ,फॉर्म स्टोर, निजी प्रेस के माध्यम से मुद्रण और पाठ्य पुस्तक मुद्रण के लिए व्यय शामिल है।
15. **प्रकाशन नियंत्रक:** यह प्रावधान प्रकाशन नियंत्रक के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।
16. **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचपीआईएल को सहायता प्रदान करने के लिए है जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित हुआ है।
17. **पीएमएवाई-शहरी:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका लक्ष्य हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 17.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण सम्बद्ध सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान ऋण संबद्ध सस्मिडी योजना (सीएलएसएस) -I के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / कम आय वर्ग (एलआईजी वर्ग) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 17.02. **मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सीएलएसएस) -II के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 17.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपात्रिक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करता है।
- 17.04. **समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी शासन के संस्थागत विकास के लिए है।
- 17.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण कार्यकलापों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।
- 17.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं।
- 17.07. **ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण के ब्याज अदायगी के लिए है।
- 18.01. **ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ब्याज सस्मिडी योजना-I (आईएसएस-I):** यह प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 18.02. **एमआईजी के लिए ब्याज सस्मिडी योजना-II (आईएसएस-II):** यह प्रावधान पीएमएवाई 2.0 के तहत मध्य आय समूह (एमआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
19. **औद्योगिक आवास हेतु स्कीम:** यह प्रावधान औद्योगिक आवास हेतु नई योजना के लिए है।
20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** यह प्रावधान दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)-एनयूएलएम योजना के लिए है।
- 20.01. **केंद्रीय घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम की योजना हेतु स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए और अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 20.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** यह प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है।
21. **दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेवाई-एस):** यह प्रावधान दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी-पायलट के लिए है।
22. **अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन):** यह प्रावधान अमृत योजना के लिए है।
- 23.01. **100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन:** यह प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए है।

- 23.02. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस):** यह प्रावधान नवाचार एकीकरण और संधारणीय-सीआईटीआईआईएस के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना शहरी निवेश संबंधी योजना है जिसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
24. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0):** यह प्रावधान फ्रेंच डेवलेपमेंट एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडराउबाउ (केएफडब्ल्यू) और यूरोपीय संघ (ईयू) की सहभागिता में सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के लिए है।
25. **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम):** यह प्रावधान राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) योजना के लिए है।
26. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** यह प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।
27. **पीएम-ईबस सेवा योजना:** यह प्रावधान भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसंरचना को बढ़ावा देन हेतु प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए है।
28. **अर्बन चैलेंज फंड:** यह प्रावधान 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' की नई पहल के कार्यान्वयन के लिए है।